

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
मेहरबन्द बनाम स्टेट
अपील प्रकरण सं० 48/2023

अधिवक्ता अपीलार्थी :- बलराम सुथार
अधिवक्ता रेषपोडेन्टस:-

15.12.23
13.2.24
06/3/24
29/4/24
08.5.24
10.06.24

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख

11.09.2023

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 11.10.2023 को पेश हो।

11/10/23

पीठमोन अधिकारी अन्वयता भ्रमण पर
कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक 15/10/23 को पेश हो।

2531
11/10/23

15/12/23

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता
उपस्थित। नायब तहसीलदार श्रीमबायला
से रिकॉर्ड उनके पत्रांक 325 दिनांक 13/11/23
द्वारा जवाब मय मूल सि.नं. 06/22
अ.वानी मेहस्वई बनाम स्टेट जाम हुर्डी
भा.शा. मिलल की वार्ड। पत्रावली वास्ते
बहस दिनांक 31-01-24 को पेश हो।

31-01-24

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता
उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा गया। पार्सल में
समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक
13-2-24 को पेश हो।

13/2/24

बाद संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
अज अधिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठमोन अधिकारी अन्वयता भ्रमण पर
हेतु पत्रावली दिनांक 06/3/24 को पेश हो।

06/3/24

पीठमोन अधिकारी अन्वयता भ्रमण पर
कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक 29/4/24 को पेश हो।

२९०५२५

आधिवक्ता उमपपल (उप) बहन हेतु अवसर (याहा)
 भाँटिया जागत पत्रावली आयका तिगारे ०८.५.२५
 को पेश हो। ✓

०८.५.२५

पेटासन अधिकारी अवकाश क्रम पर

~~कार्य में स्थित~~ हा पक्ष कारण के अधिभाषक उपस्थित

हा पत्रावली दिनांक २९.५.२५ को पेश हा

B

२९.०५.२५

आधिवक्ता उमपपल (उप) बहन हेतु अवसर (याहा)
 भाँटिया जागत पत्रावली आयका तिगारे १०.६.२५ को
 पेश हो। ✓

१०/६/२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं स्वयं
 अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी
 स्वयं को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार
 आवाजें लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति
 में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
 आदेश की प्रति सम्बन्धित उप तहसीलदार, बींझबायला
 को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।
 पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व
 बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।
 आदेश सुनाया गया।



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
 श्रीगंगानगर (राजस्थान)